



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042022-235189
CG-DL-E-19042022-235189

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1746]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2022/चैत्र 28, 1944

No. 1746]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 2022/CHAITRA 28, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2022

का.आ. 1836(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट डिप्टी कमिश्नर, वजरत रोड, झमू (NH 144A) के कि.मी. 0.8 से 26.35 जम्मू और कश्मीर राज्य तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH 144A तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डिप्टी कमिश्नर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 144A के कि.मी. 0.8 से 26.35 तक	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	जम्मू नॉर्थ	1 धरमाल 2 बरनाई
					भलवाल	1 बर्न 2 घरोटा

[फा. सं. NHIDCL/PMU-AKH//Jammu-Akhnoor/LA/2022-23]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2022

S.O. 1836(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0.8 to Km. 26.35 of Deputy Commissioner, Wazarat Road, Jammu (NH 144A) in the State of JAMMU & KASHMIR for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of JAMMU & KASHMIR.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH 144A in the State of JAMMU & KASHMIR.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Commissioner	0.8KM To 26.35KM	JAMMU & KASHMIR	JAMMU	Jammu North	1 Dharmal 2 Barnai
					Bhalwal	1 Barn 2 Gharota

[F. No. NHIDCL/PMU-AKH//Jammu-Akhnoor/LA/2022-23]

RAJESH GUPTA, Director